

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) / (513/92) / (लिंक नं.-4107) / अलेसे -III / 12633-37 दिनांक :- 27/1/2016

आदेश

श्री दीनदयाल वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं.-4107) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर में दायर अपील एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10815/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2014 के विरुद्ध दायर अपील एस.ए.डब्ल्यू 434/2015 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2015 के द्वारा याची का अभ्यावेदन नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।

याची द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10815/2014 में दिनांक 27.10.2014 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निलम्बन अवधि की 01.07.2012 से बकाया वेतन वृद्धियां, चयनित वेतनमान एवं समस्त बकाया लाभ स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2014 का परीक्षण किया गया। याची श्री दीनदयाल वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय अधि. अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बौली (सवाईमाधोपुर) में खण्डीय लेखाकार के पद पर कार्यरत अवधि के दौरान निविदाओं में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्रमांक 13184-93 दिनांक 23.02.2012 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा विभागीय पत्र क्रमांक 646-649 दिनांक 03.10.2012 के द्वारा सीसीए नियम-16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। दिनांक 03.12.2012 को विभागीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा इन्हें निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 8082-89 दिनांक 23.01.2013 के द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच को लम्बित रखते हुए इन्हें तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया गया था।

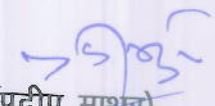
श्री वर्मा के विरुद्ध राज. सिविल सेवाएं (सीसीए) नियम - 16 के अन्तर्गत जांच वर्तमान में विचाराधीन है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 के नीचे दिये गये राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार जब तक याची को विभागीय जांच में दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक निलम्बन अवधि को कर्तव्य पर नहीं आना जा सकता। अतः याची श्री दीनदयाल वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को राज. सिविल सेवाएं (सीसीए) नियम-16 में विचाराधीन जांच में निर्णय होने तक निलम्बन अवधि की वेतन वृद्धियां एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्तानुसार श्री वर्मा का अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) / (513/92) / (लिंक नं.-4107) / अलेसे -III / 12633-37 दिनांक :- 27/1/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को उनके य.ओ.नोट क्रमांक 10778-79 दिनांक 07.12.2012 के क्रम में।
3. श्री दीनदयाल वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं.-4107) द्वारा उपकोष कार्यालय चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)